POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 27.05.2026

1. थाना जारचा पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में-

विवरण-- दिनांक **27.05.2026** को **थाना जारचा पुलिस** द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर स्थित समाना नहर के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, किन्तु स्वयं को पुलिस से घिरता देख उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान शहजाद पुत्र अकबर निवासी ग्राम कलौंदा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध दर्जनों अभियोग पंजीकृत है ।

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 121/2020, धारा 380/411/457 भादवि, थाना ककोड़, बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 122/2020, धारा 380/411/457 भादवि, थाना ककोड़, बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 130/2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना ककोड़, बुलन्दशहर।
4. मु0अ0सं0 297/2020, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना ककोड़, बुलन्दशहर।
5. मु0अ0सं0 045/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 379/411 भादवि, थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर।
6. मु0अ0सं0 031/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना अगौता, बुलन्दशहर।
7. मु0अ0सं0 068/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना छतारी, बुलन्दशहर।
8. मु0अ0सं0 069/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना छतारी, बुलन्दशहर।
9. मु0अ0सं0 043/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना पहासू, बुलन्दशहर।
10. मु0अ0सं0 054/2023, धारा 380/411 भादवि, थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर।
11. मु0अ0सं0 029/2023, धारा 379 भादवि, थाना सलीमपुर, बुलन्दशहर।
12. मु0अ0सं0 042/2023, धारा 380/411/457 भादवि, थाना अहमदगढ़, बुलन्दशहर।
13. मु0अ0सं0 127/2025, धारा 112/303(2)/317(2) बीएनएस, थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर।
14. मु0अ0सं0 128/2025, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवं 109(1) बीएनएस, थाना अरनिया, बुलन्दशहर।
15. मु0अ0सं0 010/2025, धारा 305(1)/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना खुर्जा देहात, बुलन्दशहर।
16. मु0अ0सं0 472/2025, धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना खुर्जा देहात, बुलन्दशहर।
17. मु0अ0सं0 143/2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर।

2. थाना जेवर पुलिस द्वारा नाबालिग की हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुये 03 वांछित अभियुक्तगण पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र व एक मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 22/05/2026 को वादी द्वारा थाना जेवर पर उनके नाबालिक पुत्र उम्र 15 वर्ष का दिनाँक 21.05.2026 को घर से कहीं चले जाने तथा घर वापस न आने एवं परिजनों के काफी तलाश करने पर ना मिलने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। तहरीर के आधार पर तत्काल दिनांक 22/05/2026 को थाना जेवर पर मु0अ0सं0 171/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना की जाँच और विवेचना के क्रम में गुमशुदा बालक का शव ग्राम रोही के खाली मकान में दिनांक 22/05/2026 की रात्रि में बरामद हुआ था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना जेवर पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना में वैज्ञानिक एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1.नरेश पुत्र सुरेश नि0 ग्राम रोही थाना जेवर गौतमबुद्धनगर, 2.उमेश कुमार पुत्र रामज्ञा नि0 ग्राम मीरपुर थाना चिरैया चम्पारण बिहार व 3.मोहित पुत्र मनोज नि0 ग्राम रोही थाना जेवर गौतमबुद्धनगर के नाम प्रकाश में आये।

दिनांक **27/05/2026** को **थाना जेवर पुलिस** द्वारा साबौता अण्डर पास के नीचे चैकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति सामने से आते दिखाई दिये, जिनको पुलिस बल द्वारा रूकने का ईशारा किया गया लेकिन वह नहीं रूके। बल्कि मोटर साइकिल मोडकर भागने का प्रयास करने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस बल द्वारा मोटर साइकिल सवारों का पीछा किया गया अपने आप को घिरता देख आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश घायल हो गये जिनकी पहचान 1.नरेश पुत्र सुरेश नि0 ग्राम रोही थाना जेवर गौतमबुद्धनगर 2.उमेश कुमार पुत्र रामज्ञा नि0 ग्राम मीरपुर थाना चिरैया चम्पारण बिहार के रूप में हुई तथा तीसरे आरोपी मोहित पुत्र मनोज नि0 ग्राम रोही थाना जेवर गौतमबुद्धनगर कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस एवं एक मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट स्पैलेण्डर बरामद की गयी है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि करीब एक डेढ माह पहले मृतक की दादी ने हम लोगों के यहां आकर यह शिकायत की थी, कि हम लोग मृतक को गलत संगत में डाल रहे थे जिसके कारण बालक की दादी द्वारा काफी बहस व कहासुनी भी की गयी थी। जिससे हम लोगों के मन में यह बात खटक रही थी। इसी के कारण हम लोगों की बदनामी भी हो रही थी। दिनांक 21/05/2026 को मृतक हम लोगों के घर की तरफ आया था और हमने मृतक को हुक्का में अधिक तम्बाकू डालकर पिलाकर घटना कारित कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि मृतक बालक का पोस्टमार्टम चिकित्सकगण के पैनल द्वारा कराया गया है, सम्पूर्ण पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक बालक के सभी अंग मौजूद थे। मृत्यु का कारण स्थिर करने के लिए विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नरेश पुत्र सुरेश नि0 ग्राम रोही थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. उमेश कुमार पुत्र रामज्ञा नि0 ग्राम मीरपुर थाना चिरैया चम्पारण बिहार
3. मोहित पुत्र मनोज नि0 ग्राम रोही थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 171/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त नरेश के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस
2. अभियुक्त उमेश के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस
3. एक मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर बिना नम्बर प्लेट।

3. थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8030 रूपये नकद व 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **27.05.2026** को **थाना सेक्टर-20 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त 1-रब्बान पुत्र मो0 अली 2-चमन पुत्र अनवर अली को थाना क्षेत्र के सेक्टर-29 नाले के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रब्बान के कब्जे से थाना सेक्टर-20 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बंधित चेन बेचकर प्राप्त रूपयों में से 4510 रूपये नकद व 01 अवैध चाकू तथा अभियुक्त चमन के कब्जे से मु0अ0सं0 157/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बंधित चेन बेचकर प्राप्त रूपयों में से 3730 रूपये नकद तथा 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

अभियुक्तों का विवरण-

(1) रब्बान पुत्र मो0 अली निवासी जैतपुर खड्डा कॉलोनी, थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष।
(2) चमन पुत्र अनवर अली निवासी जैतपुर, खड्डा कॉलोनी, थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त रब्बान के कब्जे से थाना सेक्टर-20 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बंधित चेन बेचकर प्राप्त रूपयों में से 4510 रूपये नकद व 01 अवैध चाकू

2. अभियुक्त चमन के कब्जे से मु0अ0सं0 157/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बंधित चेन बेचकर प्राप्त रूपयों में से 3730 रूपये नकद तथा 01 अवैध चाकू

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त रब्बान--**

1.मु0अ0सं0 186/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0 157/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
3.मु0अ0सं0 294/2025 धारा 25/54 आर्म्स एक्ट थाना कालिंदीकुन्ज, दिल्ली।
4.मु0अ0सं0 49/2023 धारा 380/411/457/34 भादवि थाना कालिंदीकुन्ज, दिल्ली।
5.मु0अ0सं0 44/2023 धारा 380/411/34 भादवि थाना कालिंदीकुन्ज, दिल्ली।
6.मु0अ0सं0 44/2021 धारा 379/411/34 भादवि थाना न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, दिल्ली।
7.मु0अ0सं0 469240/2019 धारा 380/411 भादवि थाना शाहीनबाग, दिल्ली।

- **अभियुक्त चमन--**

1.मु0अ0सं0 186/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0 157/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
3.मु0अ0सं0 161/2026 धारा 304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना कालिंदीकुन्ज, दिल्ली।